

सं.ई-25013/2/2016-हिंदी/190

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
हिंदी अनुभाग

901 (द.) सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
दिनांक: अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए टिप्पण/आलेखन नकद पुरस्कार योजना वर्ष 2022 - 2023 के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का विवरण मंगवाने के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ की राजभाषा नीति एवं सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय जल आयोग, (मुख्यालय) में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों [बहुकार्य निष्पादकों (एमटीएस) को छोड़कर] के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हिन्दी टिप्पण- आलेखन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2022-2023 के दौरान सर्वाधिक सरकारी कार्य हिंदी में करनेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त योजना का विवरण इस प्रकार है:-

1. पात्रता : वे सभी कर्मचारी जो वर्ष के दौरान 20,000 शब्द मूल रूप से हिंदी में लिखते हैं, इस योजना में भाग ले सकते हैं।
2. पुरस्कार : प्रथम पुरस्कार - (2) 5000/-रु.
: द्वितीय पुरस्कार - (3) 3000/-रु.
: तृतीय पुरस्कार - (5) 2000/- रु.
3. विशेष : हिंदीतर भाषी प्रतियोगियों को अर्थात् जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला, उड़िया और असमी है, उन्हें 20 प्रतिशत अंकों का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
4. अवधि : वित्तीय वर्ष 2022-23 [01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक]

अतः जो अधिकारी/कर्मचारी वर्ष 2022-2023 की टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे अपने द्वारा हिंदी में किए गए काम का ब्योरा, अपने नियंत्रक अधिकारी से सत्यापित करवाकर संलग्न प्रपत्र में भरकर 01 जून, 2023 तक हिंदी अनुभाग को अवश्य भिजवा दें।

नोट: सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्य का ब्यौरा देते समय प्रत्येक फाइल का नम्बर और उसमें लिखे गए शब्दों की अनुमानित संख्या का उल्लेख अवश्य करें। पुरस्कार निर्धारण हेतु उनके कार्यों की जांच उच्च अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जाएगी।

संलग्नक: यथोक्त



(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक (रा.भा.)
बीपीएल: 3720

1. सभी समन्वय/निदेशालय/अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना तथा नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
3. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।

सरकारी कामकाज में हिंदी किए गए कार्य का ब्यौरा
(दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक)

क्र.सं.	दिनांक	कुल फाइलों/रजिस्ट्रों आदि की संख्या जिसमें हिंदी में काम किया है।	हिंदी में लिखे गए टिप्पण/ आलेखन की संख्या	शब्दों की संख्या	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)

हस्ताक्षर

नामांकन प्रपत्र

1.	नाम	:	
2.	पदनाम	:	
3.	निदेशालय/अनुभाग/एकक	:	
4.	इंटरकाम एवं दूरभाष संख्या	:	
5.	कमरा संख्या	:	
6.	हिंदी भाषी/हिंदीतर भाषी	:	

हस्ताक्षर